10/11/25 पत्रावली पेश / अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर / अपील सं. 11, की ओर से अधिवक्ता हरिश्चन्द्र शर्मा हाजिर / अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण आदेश पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुने जाने बाबत अनुरोध किया / बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई / बहस पर अधिवक्ता प्रार्थी मुताबिक आदेश नहीं तथा अधिवक्ता अपीलीय द्वारा आदेश के तथ्यों का खण्डन किया / बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया / प्रार्थी के हितों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर किया जाना है तथा दौराने वाद विवादित भूमि के मौके व रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते हैं तथा वाद बाहुल्यता के बढ़ने की संभावना है / अतः प्रार्थी के हितों की रक्षा के लिए तथा वाद बाहुल्यता को बढ़ने से रोकने के लिए अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत पारित किया जाना न्यायोचित है / अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी के स्वीकार किया जाता है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा से पारित किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 2304 रकबा 1.46 हैक्टेयर ग्राम कुशालपुरा तहसील दांतारामगढ़ सीकर की भूमि पर दौराने वाद संख्या 133/2023 मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें / उक्त स्थगन आदेश ~~पत्रावली~~ ईश्वर, विट्ठल कब्जा आदि पर फर्क नहीं होगा / पत्रावली ~~अपील~~ कुमार होकर नम्बर से कम हो / दाखिल दफ्तर है / निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी, सीकर